प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 267/2022

इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य .... अपीलार्थी

बनाम

ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव ...प्रत्यर्थी

नि र्ण य

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

1. एक राष्ट्रीयकृत बैंक–अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के अनुसरण में एक कर्मचारी के रूप में अंतिम कदम उठाया, जिसमें उसे विभिन्न मामलों में दोषी पाया गया, जिसमें सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कर्तव्य का उल्लंघन और बेईमानी, धोखाधड़ी या दस्तावेजी हेरफेर शामिल है।औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अंततः अपीलकर्ता–बैंक के निर्णय को बरकरार रखा, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के संदर्भ में पांच आरोपों को साबित नहीं पाया गया जबकि दो आरोपों के तहत मामला सीमित जनादेश के साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया गया था।

2. हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 5.3.2019 को उक्त निर्णय पर रोक लगा दी गई थी।

तथ्य:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. प्रत्यर्थी को दिनांक 14.9.1981 को क्लर्क–सह–कैशियर के रूप में अपीलकर्ता–बैंक में नियोजित किया गया था।अपीलार्थी–बैंक को प्रत्यर्थी की भाभी श्रीमती मीरा श्रीवास्तव से दिनांक 8.10.1994 को एक शिकायत प्राप्त हुई कि प्रत्यर्थी ने जाली हस्ताक्षर कर प्रत्यर्थी और उसकी भाभी के संयुक्त नाम से बचत खाता संख्या 7882 खोला और संचालित किया था और कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा अंतरिम राहत के रूप में जारी किए गए 20,000/– रुपये के डिमांड ड्राफ्ट को भुनाया, जिसमें उसके पति एक जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, जिनकी दुर्भाग्य से दिनांक 15.4.1994 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।प्रत्यर्थी को गोरखपुर शाखा में गंभीर कदाचार के कृत्यों के लिए बैंक द्वारा दिनांक 5.11.1994 को निलंबन कर दिया गया था और उसे दिनांक 22.3.1995 का आरोप पत्र जारी किया गया था।आरोप निम्नानुसार हैं:

> "आरोप संख्या 1: दिनांक 28.9.94 को आप शाखा प्रबंधक श्री आर.एन. सक्सेना के विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करते हुए श्री टी.के श्रीधर अधिकारी से जावक समाशोधन चेक प्राप्त किए बिना समाशोधन गृह गए और इस प्रकार आपने जानबूझकर अवज्ञा का कार्य किया जो कि दिनांक 19.10.66 के द्विपक्षीय समझौते के प्रस्तर 19.5 (ई) के तहत एक घोर कदाचार है।
>
> आरोप संख्या 2: आपने जब श्री ए.के. चक्रवर्ती एवं अधिकारी श्री एस.एन.पाण्डेय ने उक्त चेक को प्रातः 10.30 बजे से पूर्व क्लियरिंग हाउस में सौंप दिया तब उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देशों के बावजूद दिनांक 28.9.94 को दिन के 2,21,161.47 रुपये के आउटवार्ड क्लियरिंग चेक के लिए शामिल करने से इनकार कर दिया, जो जानबूझकर अवज्ञा का कार्य है और द्विपक्षीय समझौता दिनांक 19.10.66 के प्रस्तर 19.5 (ई) के तहत एक घोर कदाचार है।
>
> आरोप संख्या 3: दिनांक 28.9.94 को दिन के 2,21,161.47 रुपये के आउटवार्ड क्लियरिंग चेक के लिए शामिल करने से इनकार करके, आपने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संबंधित बैंक के ग्राहकों को असुविधा और कठिनाई का कारण बना दिया और इस प्रकार बैंक के हितों के प्रतिकूल काम किया, जो द्विपक्षीय समझौता दिनांक 19.10.66 के प्रस्तर 19.5(जे) के तहत एक घोर कदाचार है।

आरोप संख्या 4: आपने धोखे और बेईमानी से अपने और अपनी भाभी श्रीमती मीरा श्रीवास्तव के संयुक्त नाम पर जाली हस्ताक्षर करके बचत बैंक खाता संख्या 7882 खोला जो कि बैंक के हितों के लिए हानिकारक है और 19.10.66 दिनांकित के द्विपक्षीय समझौते के प्रस्तर 19.5 (जे) के तहत एक घोर कदाचार है।

आरोप संख्या 5: आपने धोखे से और बेईमानी से संयुक्त खाता संख्या 7882 से 20,000/– रुपये (श्रीमती मीरा श्रीवास्तव के पक्ष में जारी डिमांड ड्राफ्ट की कार्यवाही होने के नाते और खाते में जमा किया गया) की दो निकासी पर्ची में श्रीमती मीरा श्रीवास्तव के जाली हस्ताक्षर करके क्रमश: 20.5.94 और 13.6.94 को 7,000/– रुपये और 13,000/– रुपये की दो किस्तों में निकाले गए, जो कि बैंक के हितों के प्रतिकूल कार्य है और 19.10.66 दिनांकित द्विपक्षीय समझौते के प्रस्तर 19.5 (जे) के तहत एक घोर कदाचार है।

आरोप संख्या 6: दिनांक 9.11.94 को शाखा प्रबंधक श्री आर.एन. सक्सेना सहित कुछ बाहरी व्यक्तियों एवं स्टाफ सदस्यों का घेराव कर, शाखा प्रबंधक को असंसदीय भाषा में धमकाकर एवं गाली–गलौज कर तथा शाखा प्रबंधक के अटैची, मेज की दराज तथा उसकी जेब की तलाशी लेने के बाद जबरन निलंबन आदेश की प्रति को ले लिया, आपने उपद्रवी, उच्छृंखल और अभद्रता वाला व्यवहार किया है जो कि द्विपक्षीय समझौता 19.10.66 दिनांकित के प्रस्तर 19.5 (सी) के तहत एक घोर कदाचार है।

आरोप संख्या 7: निलंबन आदेश 5.11.94 दिनांक की डुप्लीकेट प्रति में निहित आपकी स्वयं की पावती और ii) उपस्थिति रजिस्टर में आपके नाम को सफेद पदार्थ से मिटाकर आपने शाखा के अभिलेख के साथ छेड़छाड़ की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और इस तरह बैंक के हितों के प्रतिकूल काम किया जो द्विपक्षीय समझौता 19.10.66 दिनांकित के प्रस्तर 19.5(जे) के तहत एक घोर कदाचार है।"

4. प्रत्यर्थी ने आरोप पत्र के जवाब में आरोपों से इनकार किया।आरोपों पर निर्णय लेने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था।अपीलकर्ता का मामला यह है कि प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों का पालन किया गया था और प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता–बैंक द्वारा अवलम्ब लिए गए सभी दस्तावेजों/सामग्री के साथ आपूर्ति की गई थी। जांच अधिकारी ने जांच पूरी की और दिनांक 6.12.1995 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रत्यर्थी के खिलाफ सभी आरोप साबित हो गए हैं। नतीजतन, प्रत्यर्थी को दिनांक 28.2.1996 को कारण बताओ नोटिस के साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की सजा का प्रस्ताव दिया गया था।प्रत्यर्थी ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया लेकिन अनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रत्युत्तर पर विचार करने के बाद निष्कर्ष को बरकरार रखा और आदेश दिनांक 11.5.1996 के तहत सेवा से बर्खास्तगी का जुर्माना लगाया।

5. प्रत्यर्थी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 10.9.1996 के आदेश की अपील को खारिज कर दिया।6. प्रत्यर्थी ने एक औद्योगिक विवाद को बढ़ाने की मांग की और केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर पीठासीन अधिकारी, केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल–कम–लेबर कोर्ट, कानपुर को सरकारी आदेश 30.10.2003 दिनांकित के विवाद का उल्लेख किया कि क्या बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने वाले प्रबंधन की कार्रवाई उचित और कानूनी थी।

7. ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही की गई और ट्रिब्यूनल ने घरेलू जांच की निष्पक्षता के सवाल पर एक प्रारंभिक मुद्दा बनाया।ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 15.11.2011 ने अपीलकर्ता के खिलाफ प्रारंभिक मुद्दे का फैसला किया क्योंकि अपीलकर्ता–प्रबंधन/बैंक मूल दस्तावेजों को पेश करने में विफल रहा था और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संबंधित पेजों की अधिकांश फोटोप्रतियाँ पठनीय नहीं थी।इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता–बैंक को सबूत प्रस्तुत करके प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप साबित करने का अवसर दिया।बैंक ने पांच गवाहों को पेश करके अपने सबूत प्रस्तुत किया, जबकि प्रत्यर्थी ने स्वयं की जांच की। ट्रिब्यूनल ने निर्णय 21.2.2013 दिनांकित द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध संदर्भ का उत्तर दिया कि अपीलकर्ता – बैंक/प्रबंधन प्रत्यर्थी के खिलाफ सभी आरोपों को स्थापित करने में सफल रहा है। सजा की अवधि के मुद्दे पर भी यह माना गया कि यह आरोप प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुरूप था और साबित हुआ।

8. अपीलकर्ता ने इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय के समक्ष , रिट याचिका(सी) संख्या 53458/2013 होने के नाते रिट याचिका दायर करके ट्रिब्यूनल के इस आदेश को चुनौती देने की मांग की। आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.5.2018 के अनुसार, आरोप 4 और 5 के संबंध में मामले को वापस भेजते समय उक्त रिट याचिका को अनुमति दी गई है। आक्षेपित निर्णय में कहा गया कि जब पूर्व की विभागीय कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली पाई गई थी, तब आरोप संख्या 1, 2, 3, 6 और 7 की तुलना में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए था, इस दलील के आधार पर कि बैंक ने केवल आरोप संख्या 4 और 5 के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए। आरोप संख्या 4 और 5 के संबंध में यह राय थी कि प्रत्यर्थी के अनुरोध पर श्रीमती मीरा श्रीवास्तव के हस्ताक्षरों की तुलना किसी विशेषज्ञ द्वारा उनके स्वीकृत हस्ताक्षरों से की जानी चाहिए थी और तभी सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था कि क्या प्रतिवादी द्वारा वापसी फॉर्म जाली है या नहीं और ट्रिब्यूनल को एक विशेषज्ञ की तरह काम करने से बचना चाहिए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

था और जांच के स्तर का मानक होना चाहिए था जिसका एक आपराधिक न्यायालय द्वारा सहारा लिया जाता है।

9. हम इस स्तर पर नोटिस कर सकते हैं कि जांच अधिकारी ने इस बात का विरोध किया था कि बैंकर की नजर से प्रश्नगत हस्ताक्षर की तुलना में स्वीकार किए गए हस्ताक्षर का अवलोकन करते समय यह कहा जा सकता है कि समानता का अभाव है।श्रीमती मीरा श्रीवास्तव का दावा था कि बैंक जाने के बिना भी यह खाता धोखाधड़ी से खोला गया था। 7,000/– रूपये और 13,000/– रूपये के दो निकासी पर्चियों के संबंध में स्थिति समान थी।श्रीमती मीरा श्रीवास्तव ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की थी।बयान में उसने स्वीकार किया कि उसके और प्रत्यर्थी दोनों संयुक्त परिवार के सदस्य थे , लेकिन ड्राफ्ट को प्रत्यर्थी को सुरक्षित रखने के लिए दिए गए थे और जब डेढ़ महीने के बाद उसने प्रत्यर्थी को अपना ड्राफ्ट वापस करने के लिए कहा तो उसने एक या दूसरे बहाने से ऐसा करने से इनकार कर दिया।इस प्रकार, दो या तीन महीने बाद उसने बैंक से शिकायत किया कि शाखा में ड्राफ्ट को भुना लिया गया था। शिकायत करने पर उसे बैंक से पैसे मिले। उसकी जिरह में यह कभी नहीं बताया गया कि वह खाता खोलने के लिए बैंक गई थी और खाता खोलने के फॉर्म पर उसके हस्ताक्षर थे और न ही उसे यह बताया गया था कि वह 7,000/– रुपये और 13,000/– रुपये की राशि निकालने के लिए बैंक गई थी। उसका बयान जांच अधिकारी और औद्योगिक न्यायाधिकरण दोनों द्वारा विश्वसनीय था।

<u>अपीलार्थी के कथन:–</u>

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन यह था कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आपराधिक कार्यवाही के प्रमाण के मानकों को लागू करने में त्रुटि की क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक कर्मचारी द्वारा

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कदाचार का मूल्यांकन संभावनाओं और साक्ष्य की प्रबलता के आधार पर किया जाना चाहिए।यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे कि प्रत्यर्थी ने शिकायतकर्ता श्रीमती मीरा श्रीवास्तव के हस्ताक्षरों में हेरफेर करके उसके पति के निधन पर मुआवजे के रूप में धोखाधड़ी और जालसाजी की, खाता खोला, खाते का संचालन किया और 20,000/– रूपये की राशि का लेनदेन किया।प्रत्यर्थी ने परिवादी का अपनी भाभी होने का फायदा उठाया।परिवादी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष शपथ पर स्पष्ट और स्पष्ट गवाही दी है और उसकी जिरह में इसके विपरीत कुछ भी नहीं निकला था।वास्तव में इस पहलू के बारे में यह कहा गया था कि कोई भौतिक जिरह नहीं थी और उसके बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

11. जहां तक शेष आरोपों का संबंध है, दस्तावेजों के माध्यम से विशिष्ट निष्कर्ष निकाला गया कि अवज्ञा, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना, गलत तरीके से निलंबन पत्रों बनाने संबंधित आरोप भी साबित हुए थे और यहां तक कि वे स्वयं द्वारा सेवा से बर्खास्तगी की सजा देने के लिए पर्याप्त थे।

<u>प्रत्यर्थी के कथन:–</u>

12. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोप संख्या 4 और 5 के अलावा आक्षेपित निर्णय के आरोपों के संदर्भ में किसी भी मामले में साबित नहीं हुए क्योंकि उस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था और केवल दस्तावेजों पर अवलंब नहीं लिया जा सकता था।

13. यह आगे कहा गया कि आरोप संख्या 4 और 5 भी साबित नहीं हुए थे और ***ललित पोपली बनाम केनरा बैंक*** [1], विशेष रूप से प्रस्तर 13 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने की मांग की गई थी जो निम्नानुसार है:

---

1 (2003) 3 SCC 583

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"13. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 और 47 के तहत, न्यायालय को दूसरों की राय पर विचार करना होगा, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 73 के तहत, न्यायालय स्वयं की तुलना में अपनी राय बना सकता है।लिखावट की पहचान के साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम के तीन खंडों पर विचार किया जाता है। वे धारा 45,47 और 73 हैं।धारा 45 और 47 के तहत दोनों साक्ष्य एक मत के हैं।पहले मामले में यह वैज्ञानिक तुलना द्वारा होता है और बाद में बार–बार अवलोकन और अनुभवों के परिणामस्वरूप परिचितता के आधार पर होता है। दोनों मामलों में, न्यायालय को ऐसे माध्यमों से स्वयं को संतुष्ट करने की आवश्यकता है जो यह निष्कर्ष निकालने के उपलब्ध हैं कि राय पर कार्रवाई की जा सकती है।हस्तलेख विशेषज्ञ की राय के बावजूद, न्यायालय स्वीकृत लेखन की तुलना विवादित लेखन से कर सकता है और अपना स्वतंत्र निष्कर्ष निकाल सकता है।तुलना का यह कार्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के तहत स्वीकार्य है। आमतौर पर, धारा 45 और 73 एक दूसरे के पूरक हैं।हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य को अनिवार्य रूप से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।न्यायालय को यह तय करना है कि इस तरह के अनियंत्रित साक्ष्य को स्वीकार करना है या नहीं।यह स्पष्ट है कि जब विशेषज्ञों के साक्ष्य नहीं होते हैं, तब भी न्यायालय के पास लेखन की तुलना करने और मामले को तय करने की शक्ति होती है। [देखें मुरारी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1980)1 एससीसी 704]"

<u>निष्कर्षः</u>

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता के विरोधी तर्कों पर विचार करने पर, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय आक्षेपित निर्णय में निष्कर्ष पर पहुंचने और निर्देश देने में त्रुटि की है इसलिए इस मामले को अब एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय लेने के लिए एक बार फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रेषित किया जाना है।

15. हम इस सीमा पर जोर देना चाहते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनल के निर्णय

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

की जांच के लिए कुछ अंतर्निहित कानूनी सीमाएं हैं। ***हम जीई पावर इंडिया लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स अल्स्टॉम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के रूप में) बनाम ए. अजीज*** [2] में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। यदि कोई न्यायिक त्रुटि या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन या अभिलेख में स्पष्ट विधिक त्रुटि नहीं है तो उच्च न्यायालय के लिए अपीलीय न्यायालय के रूप में विवाद का गुणावगुण नहीं मिल सकता। वह भी, हस्ताक्षरों के दो समूहों के संबंध में गठित एक राय के पहलू पर, जहां बैंक के एक अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई थी, जो हस्ताक्षरों की तुलना में एक राय में यह आया था कि उनमें क्या अंतर है।इसे 'बैंकर की नजर' के परिप्रेक्ष्य से देखा गया है।यह निश्चित रूप से, प्रत्यर्थी की भाभी की गवाही के अलावा है।

16. हमारे पास प्रस्तर 9 में दर्ज तथ्यात्मक कथन के संदर्भ में पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर ध्यान देने के दौरान है कि जांच अधिकारी ने 'बैंकर की नजर से' से प्रश्नगत हस्ताक्षर से तुलना में स्वीकृत हस्ताक्षर का अवलोकन करते हुए स्वयं की राय दी थी, यह केवल जांच अधिकारी का ही विचार नहीं था बल्कि प्रत्यर्थी श्रीमती मीरा श्रीवास्तव की भाभी के बयान पर आधारित था। श्रीमती मीरा श्रीवास्तव का बयान स्पष्ट था।वह एक संयुक्त परिवार में रह रही थी जिसमें से प्रत्यर्थी एक सदस्य था।दुर्भाग्य से उसने एक दुर्घटना में अपने पति को खो दिया।दो ड्राफ्ट उसके नियोक्ता से प्राप्त किए गए थे और उन ड्राफ्टों को प्रत्यर्थी की कस्टडी में रखा गया था, संभवतः इसलिए कि वह एक बैंकर और उसके मृत पति का बड़ा भाई था। उसे उसी के लाभों को देने के बजाय, प्रत्यर्थी अपने और अपनी भाभी के नाम पर संयुक्त रूप से खाता खोलने, ड्राफ्ट पेश करने और उसी के विनियोग के साथ राशि निकालने लगा।श्रीमती मीरा श्रीवास्तव न तो खाता खोलने के फॉर्म या हस्ताक्षर कार्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए बैंक गई थी,

---

2 2020 SCC Online SC 782.

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न ही उन्होंने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था और न ही नकदीकरण वाउचर पर हस्ताक्षर किए थे।वास्तव में, यह केवल तब होता है जब उसने बैंक द्वारा पूछताछ की गई राशि प्राप्त न होने की शिकायत की और कम से कम पैसा उसे हस्तांतरित कर दिया गया था।उसकी जिरह से कुछ भी पता नहीं चला, न ही इस बात के लिए उसे जिरह में रखा गया था कि वह कभी बैंक गई थी, खाता खोला था या नकदीकरण वाउचर पर हस्ताक्षर किए थे।परिवार में रिश्तों में खटास नहीं थी और न ही किसी रिश्तेदार द्वारा प्रत्यर्थी को "फिक्स" करने का कोई प्रयास ही किया गया था।हमारे विचार में यह साक्ष्य प्रत्यर्थी को फंसाने के लिए पर्याप्त था।

17. ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने उक्त उद्देश्य के लिए एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की आवश्यकता पूरी करते हुए विभागीय कार्यवाही के लिए आपराधिक कार्यवाही का परीक्षण लागू किया है।यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक स्थिति के विपरीत होगा। हमारे लिए ***आशू सुरेंद्रनाथ तिवारी बनाम पुलिस उपाधीक्षक, ईओडब्ल्यू, सीबीआई***[3] में हालिया फैसले का उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि विभागीय कार्यवाहियों में प्रमाण का मानक, संभाव्यता की प्रधानता पर आधारित होने के कारण, आपराधिक कार्यवाही में प्रमाण के मानक से कुछ कम है जहाँ मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

18. हम यह भी देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय का मत है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा वास्तव में केवल आरोप संख्या 4 और 5 पर ही विचार किया जा सकता था, जिसके लिए एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय में और साक्ष्य की आवश्यकता थी।जहां तक अन्य आरोपों का संबंध है, यह निष्कर्ष निकाला गया कि आगे कोई सबूत नहीं दिया गया था।

---

3 (2020) 9 SCC 636

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

19. हमारे विचार में यह न तो सही दृष्टिकोण है और न ही अभिलेख से बाहर है। साक्ष्य प्रतिपादित किया गया था।पहले भी, बैंक के अभिलेख से पता चलने वाले अन्य शुल्कों के संबंध में, जो प्रत्यर्थी के आचरण को दर्शाती है जो प्रत्यर्थी के आचरण को दर्शाता है जो स्वयं आरोप तय करने के तरीके और उसके समर्थन में सामने आई सामग्री से स्पष्ट है।इस प्रकार, अन्य आरोपों के पहलू को भी उस तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता था जिस तरह से इसका तात्पर्य है।इस मामले को वापस भेजे जाने पर, एमडब्ल्यू–3 और एमडब्ल्यू–4 होने के कारण इन पहलुओं के बारे में दो गवाहों ने बयान दिया। प्रत्यर्थी एक क्लर्क–कम–कैशियर था। यह विश्वास का पद है। प्रत्यर्थी ने उस विश्वास को तोड़ा। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने एक विधवा भाभी के साथ–साथ बैंक के विश्वास को भी तोड़ा है, जिससे यह विधिक या नैतिक आधार पर हस्तक्षेप का मामला मुश्किल से ही बनता है। प्रत्यर्थी पर लगाई गई सजा को भी शायद ही अनुपातहीन कहा जा सकता है। प्रत्यर्थी के स्थापित आचरण ने उसे सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं दिया।

20. इस प्रकार, हम यह देखते हैं कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश 31.5.2018 दिनांकित को अपास्त किया जा सकता है और औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय 21.2.2013 दिनांकित की चुनौती को निरस्त किया जाता है।

21. तदनुसार अपील को पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ने की अनुमति दी जाती है।

.....

[न्यायमूर्ति संजय किशन कौल]

.....

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

[न्यायमूर्ति एम. एम. सुन्द्रेश]

नई दिल्ली

19 जनवरी, 2022

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।